



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44776

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

क्रिमिनल मिस्ले. एंटीसिपेटरी बेल अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

सं. - 2064 सन् 2026

प्रतीक पांडे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार सिंह

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. अधिवक्ता श्री बी.के. पांडे ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय राम पांडे, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह आवेदन मुकदमा अपराध सं. 276 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 281, 125(ए), 125(बी), 1505, 61(2) बी.एन.एस., थाना नैनी, जिला प्रयागराज के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि यह आवेदक की ओर से दायर किया गया दूसरा अग्रिम जमानत आवेदन है। उनका पहला अग्रिम जमानत आवेदन आरोपपत्र दाखिल होने से पहले दायर किया गया था, जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन सं. 7300 सन् 2025 में स्वीकार कर लिया था,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को आरोपपत्र दाखिल होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अब, आवेदक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आशंका है कि उसे उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और अब तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जब भी निचली अदालत द्वारा आवश्यकता होगी, वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

5. विद्वान ए.जी.ए. और प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जांच के दौरान आवेदक के विरुद्ध विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, मामले की मेरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

26 फरवरी, 2026

मुस्तकीम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।